ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

सार्वजनिक सूचिा

प्र.का./पा.य .ोिं नर्./2026 निििोिंक 23.03.2026

डीजीएफटी की अनिसूचिा सोंख्या 65/2025-26 निििोिंक 19.03.2026 के अिुसार
RELIEF घटक I, II और III के अोिंतर्वत
िािर्ा प्रस्तुत करिे के निए मािक सोंचािि प्रनिया

1. भारत सरकार ने ननर्ाात संवर्ान निशन के अंतर्ात "RELIEF" (ननर्ाात सुनवर्ा हेतु लचीलापन और रसद हस्तक्षेप) की घोषणा की है, जो डीजीएफटी अनर्सूचना संख्या 65/2025-26 नदनांक 19.03.2026 के िाध्यि से खाडी और व्यापक पनिि एनशर्ा सिुद्री र्नलर्ारे ििें व्यवर्ानों के कारण िाल ढुलाई ििें असार्ारण वृद्धि, बीिा प्रीनिर्ि ििें वृद्धि और र्ुि संबंर्ी ननर्ाात जोद्धखिों से प्रभानवत भारतीर् ननर्ाातकों को सहार्ता प्रदान करने के नलए है। RELIEF हस्तक्षेपों को व्यवर्ान अवनर् के दौरान पहले से भेजे र्ए नशपिेंट के साथ-साथ प्रभानवत क्षेत्र ििें ननर्ोनजत संभानवत ननर्ाातों को कवर करते हुए ननर्ाात चक्र ििें सहार्ता प्रदान करने के नलए संरनचत नकर्ा र्र्ा है।

2. स्वीकृत ढांचे के तहत, भारत सरकार (वानणज्य एवं उद्योर् िंत्रालर्) के पूणा स्वानित्व वाली ईसीजीसी नलनिटेड (पूवा ििें एक्सपोटा क्रेनडट र्ारंटी कॉपोरे शन ऑफ इंनडर्ा नलनिटेड) को सत्यापन, दावा प्रसंस्करण, नवतरण और ननर्रानी के नलए नोडल और कार्ाान्वर्न एजेंसी के रूप ििें नानित नकर्ा र्र्ा है।

3. RELIEF हस्तक्षेपों का उद्देश्य प्रभानवत देशों ििें र्ुि संबंर्ी जोद्धखिों और उनसे जुडे राजनीनतक जोद्धखिों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। इसिें संर्ुक्त अरब अिीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, कुवैत, कतर, अोिान, बहरीन, इराक, ईरान और र्िन जैसे देशों के नलए नडलीवरी र्ा ट्ांस-नशपिेंट हेतु भेजे जाने वाले फुल कंटेनर

लोड (एफसीएल), लेस दैन कंटेनर लोड (एलसीएल) र्ा रीफर कंटेनर (नाशवान िाल) वाले नशपिंट शानिल होंर्े। इन RELIEF हस्तक्षेपों के तहत सहार्ता बैक-टू-टाउन कार्ो
िािलों पर लार्ू नहीं होर्ी।

4. सरकार के ननदेशों के अनुरूप, RELIEF हस्तक्षेपों के पररचालन संबंर्ी नववरण सभी नहतर्ारकों के नलए नीचे नदए ए हैं:

I. RELIEF घटक - I: ECGC के पहिे से बीनमत नियावतकों के निए नियावत ऋण सहायता

(i) उन ननर्ाातकों के नलए नजन्होंने पहले ही ECGC ऋण बीमा कवर प्राप्त कर नलर्ा है

(ii) कवर की अवनर् (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) मौजूदा प्रीनिर्म दरों पर 100% तक कवर प्रदान नकर्ा जाएर्ा

(iv) सरकार ECGC को उस रानश की प्रनतपूनता करेर्ी जो ECGC अपने पॉनलसीर्ारकों को ECGC के मौजूदा कवर के तहत सामान्य रूप से देर् रानश से अनर्क भुर्तान करेर्ी

II. RELIEF घटक - II: क्षेत्र में आर्ामी नियावत के निए नियावत ऋण सहायता हेतु ECGC कर्रेज क प्र त्सानहत और सुर्म बिामा

(i) ननर्ाातकों को ECGC के ऋण बीमा कवर का नवकल्प चुनने के नलए प्रोत्सानहत करना

(ii) कवर की अवनर् (16.3.2026 से 15.6.2026)

(iii) मौजूदा प्रीनिर्म दरों पर 95% तक का कवर प्रदान नकर्ा जाएर्ा

(iv) सरकार ECGC को उस रानश की प्रनतपूनता करेर्ी जो ECGC अपने पॉनलसीर्ारकों को ECGC के मौजूदा कवर के तहत सामान्य रूप से देर् रानश से अनर्क भुर्तान करेर्ी

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

III. RELIEF घटक - III: पात्र र्ैर-ईसीजीसी-बीनमत एमएसएमई नियावतक े द्वारा र्हि नकए र्ए असाि◌ारण माि ढुि◌ाई और बीमा अनिभार के निए प्रनतपूनतव सहायता

(i) र्ैर-ईसीजीसी ग्राहकों और एिएसएिई ननर्ा◌ातकों के नलए

(ii) नशपिंट की अवनर् (14.2.2026 से 15.3.2026)

(iii) ननर्ा◌ातकों को अनतररक्त ि◌ाल ढुलाई और बीि◌ा के 50% तक (सीआईएफ अनुबंर्ो◌ं के नलए) र्ा अनुबंनर्त एफओबी ि◌ूल्य और प्राप्त ननर्ा◌ात आर् के बीच असार्ारण अनर्भारों के कारण हुई किी के 50% तक की प्रनतपूनता प्रदान की जाएर्ी, जो ि◌ाल ढुलाई र्ा बीि◌ा लार्त ि◌े◌ं वृद्धि के कारण हुई हो। इसिें ननम्ननलद्धखत शानिल होंर्े:

(क) र्ुि जोद्धखि अनर्भार (डब्ल्यूआरएस)/आपातकालीन संघषा अनर्भार (ईसीएस) र्ा इसी तरह के शुल्क;

(ख) अनतररक्त र्ुि जोद्धखि प्रीनिर्ि (एडब्ल्यूआरपी);

(र्) सिुद्री ि◌ार्ा व्यवर्ानों से जुडे अनतररक्त संघषा-संबंनर्त नशनपंर् शुल्क; और,

(घ) ि◌ाल ढुलाई पर लार्ू अनतररक्त बीि◌ा प्रीनिर्ि।

(iv) प्रत्येक आईईसी को दी जाने वाली कुल सहार्ता ननम्ननलद्धखत शतों के अर्ीन होर्ी:

(क) पात्र इनवॉइस के संबंर् ि◌े◌ं ननर्ा◌ातक द्वारा हुई वास्तनवक हानन की सीि◌ा,

(ख) ननर्ा◌ाररत दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण, और

(ग) इस घटक के अंतर्गत सभी पात्र खेपों के लिए प्रति निर्यातक ₹50 लाख की कुल सीमा।

5. RELIEF घटकों के अंतर्गत दावा दाखिल करने की प्रक्रिया

ईसीजीसी पॉलिसीधारकों के लिए (RELIEF घटक I और II)

- पॉलिसीधारकों को अपने मौजूदा लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ईसीजीसी पोर्टल www.ecgcltd.in पर साइन इन करना होगा।
- वे मौजूदा पॉलिसी दावा मॉड्यूल के माध्यम से दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्यातकों (गैर-ईसीजीसी पॉलिसीधारकों) के लिए - (RELIEF घटक III)

- निर्यातकों (गैर-ईसीजीसी पॉलिसीधारकों) को पहले ईसीजीसी पोर्टल www.ecgcltd.in पर पंजीकरण/साइन अप करना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा।
- साइन अप के दौरान, निर्यातकों को निर्यातक ग्राहक कोड बनाने और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ विवरण (जैसे, आईईसी, पैन, उद्यम, बैंक खाता विवरण) प्रदान करने होंगे।
- इसके बाद, निर्यातक पोर्टल पर मॉड्यूल के माध्यम से RELIEF घटक III के अंतर्गत दावे प्रस्तुत कर सकेंगे।

ईसीजीसी कस्टमर पोर्टल पर पंजीकरण या दावा दाखिल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन के लिए, निर्यातक निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं।

पंजीकरण और RELIEF घटक - III के तहत दावा दाखिल करने के लिए:

https://youtu.be/X2vtw9z-oQA?feature=shared

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

6. **<u>RELIEF घटक III के अ◌ो◌ंतर्वत ि◌ार◌्ा प्रस्तुत करते समय अपि ड/जमा नकए जाि◌े र◌्ाि◌े ि◌स्तार◌्ेज ◌ो◌ं की सूची</u>**

(ि◌ **ट** - प्रत्येक नशनपंर् नबल के नलए अलर् दावा दाद्धखल नकर◌्ा जाएर◌्ा)

(i) आर◌्ातक-ननर◌्ा◌ातक कोड (IEC) प्रिाणपत्र

(ii) MSME प्रिाणपत्र

(iii) क्रर् आदेश/अनुबंर्, र्नद कोई संशोर्न हो, सनहत

(iv) इनवॉइस और पैनकंर् सूची

(v) नशनपंर् नबल

(vi) ऑनबोडा नबल ऑफ लैनडंर् र◌्ा एर्रवे नबल

(vii) पररवहन और बीि◌ा इनवॉइस नजनिें "असार्◌ारण" अनर्भार तत्व स्पष्ट रूप से दशाार◌्ा र्◌्ा हो, जैसे अनतररक्त र◌्ुि◌ जोद्धखि प्रीनिर्◌ि (AWRP), र◌्ुि◌ जोद्धखि अनर्भार (WRS), आपातकालीन संघषा अनर्भार (ECS) र◌्ा इसी प्रकार के शुल्क, सिुद्री ि◌ार◌्ा व्यवर्◌ानों से संबंनर्त अनतररक्त संघषा-संबंर्◌ी नशनपंर् शुल्क; और कार्◌ो नशपिंट पर लार्◌ू अनतररक्त बीि◌ा प्रीनिर्◌ि।

(viii) उक्त "असार्◌ारण" अनर्भारों की कटौती के नलए क्रेता के साथ पत्राचार

(ix) नकए र्ए खचों के भुर्तान का प्रिाण

(x) ननर◌्ा◌ात आर् की प्राद्धप्त के नलए बैंक प्राद्धप्त प्रिाण पत्र

(xi) बैंक खाते का नववरण और रद्द नकए र्ए चेक की प्रनत

ि◌ ट – घटक I और II के नलए दस्तावेज, ऊपर उद्धिद्धखत दस्तावेजों के अनतररक्त, ECGC केदावा प्रपत्र ि◌े◌ं सूचीबि अनुसार अपलोड/जिा नकए जाएंर्◌े। ऐसे सभी दावों की सिग्र रूप से जांच की जाएर्◌ी।

7. RELIEF घटकों के अंतर्◌ात दावों की प्रनतपूनता DGFT की अनर्सूचना संख्या 65/2025-26 नदनांक 19.03.2026 के अनुसार की जाएर्◌ी।

ग्राहक पोटाल ि◌े◌ं तकनीकी सहार्ता के नलए, कृपर्◌ा econnectivity@ecgc.in पर ईिेल करें।
RELIEF से संबंनर्त नकसी भी सहार्ता केनलए, कृपर्◌ा RELIEF2026@ecgc.in पर ईिेल करें।
आप हिारी ननकटति शाखा र◌्ा क्षेत्रीर् कार्◌ा◌ालर् से भी संपका कर सकते हैं - नववरण हिारी वेबसाइट www.ecgc.in पर प्रकानशत 'शाखा लोकेटर' ि◌े◌ं उपलब्ध हैं - https://main.ecgc.in/english/branch-offices/

****

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026

सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, जिसका विषय '***डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार RELIEF घटक I, II और III के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया'*** है, के अनुक्रम में, कृपया निम्नलिखित बातों पर अतिरिक्त रूप से ध्यान दें:

(i) RELIEF घटक-II के तहत, ऊर्जा शिपमेंट शामिल नहीं हैं।

(ii) RELIEF घटक-III के तहत, हवाई शिपमेंट शामिल नहीं हैं।

(iii) RELIEF हस्तक्षेपों के घटक I और II के तहत भुगतान किए गए अतिरिक्त दावों का, निर्यातकों को जारी की गई ईसीजीसी पॉलिसियों के तहत 'दावा-से-प्रीमियम अनुपात' (CPR) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, गैर-ईसीजीसी एमएसएमई निर्यातकों के लिए RELIEF हस्तक्षेप घटक-III के तहत प्रतिपूर्ति की गई राशियों को, भविष्य में निर्यातकों द्वारा ईसीजीसी से प्राप्त की जाने वाली किसी भी पॉलिसी(यों) में CPR की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

****

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

परिशिष्ट - 2 दिनांक 22.04.2026

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026 व परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026

सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, जिसका विषय '***डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार RELIEF घटक I, II और III के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया***' है और परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026 के अनुक्रम में, कृपया निम्नलिखित बातों पर अतिरिक्त रूप से ध्यान दें:

(i) विभिन्न RELIEF घटकों के तहत कवरेज के लिए अधिसूचित देशों के अलावा, जैसा कि 23.03.2026 की सार्वजनिक सूचना के पैरा 3 में बताया गया है, **इजिप्ट** और **जॉर्डन** में डिलीवरी या ट्रांस-शिपमेंट के लिए भेजी जाने वाली शिपमेंट को भी तीनों RELIEF घटकों के तहत कवरेज में शामिल किया जाएगा।

(ii) उन निर्यातकों के अलावा जो नई स्टैंडअलोन पॉलिसियों का लाभ उठाते हैं, RELIEF घटक II के तहत लाभ उन निर्यातकों को भी उपलब्ध होगा जो 16 मार्च, 2026 को या उसके बाद नई संपूर्ण-पण्यावर्त पॉलिसियों का लाभ उठाते हैं।

****

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

परिशिष्ट - 3 दिनांक 07.07.2026

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, परिशिष्ट - 1 दिनांक 25.03.2026 व परिशिष्ट - 2 दिनांक 22.04.2026

1. सभी पॉलिसीधारकों और निर्यातकों का ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. प्र.का./पा.यों.वि./2026 दिनांक 23.03.2026, जो '***डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 65/2025-26 दिनांक 19.03.2026 के अनुसार रिलीफ घटक I, II और III के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया***' से संबंधित है; परिशिष्ट–1 दिनांक 25.03.2026 और परिशिष्ट–2 दिनांक 22.04.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना संख्या 21/2026 दिनांक 29 जून, 2026 के अनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि:

   (i) 'निर्यात संवर्धन मिशन' रिलीफ हस्तक्षेप के **घटक II** के तहत पात्रता की अवधि, जो 15 जून, 2026 को खत्म हो गई थी, उसे 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह विस्तार सख्ती से उन पोतलदानों पर लागू होता है जो रिलीफ हस्तक्षेप के तहत डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए हैं।

   (ii) इस विस्तार के तहत, जिन ईसीजीसी पॉलिसीधारकों के पास 95% से कम का मानक वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिम रक्षा है, वे 16 मार्च 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच किए गए पोतलदानों के लिए 95% तक के बढ़े हुए अतिरिक्त कवर के लिए पात्र होंगे।

   (iii) यह महत्वपूर्ण उपाय इस्तेमाल को बढ़ाने, व्यापार में लचीलापन लाने, भारतीय निर्यातकों की मदद करने और पश्चिम एशिया में जारी संकट से पैदा होने वाली लॉजिस्टिक्स चुनौतियों को कम करने के लिए लागू किया गया है।

   (iv) मूल सार्वजनिक सूचना और बाद में जोड़े गए परिशिष्टों में बताई गई अन्य सभी शर्तें, नियम और प्रावधान पूरी तरह से अपरिवर्तित रहेंगे।

****